



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270653
CG-DL-E-03032026-270653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1082]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947

No. 1082]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

का.आ. 1134(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के कोलर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 234 के कि.मी. 494.450 से कि.मी. 505.540 (संगोंदहल्ली से केएनटी/एपी सीमा खंड) तक के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पैषल् लेन्ड् एक्विज़िषन् औफसर् नेषनल् हैवेय्ज़् बेन्गलौर 560001 को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को

व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के कोलर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 234 के कि.मी. 494.450 से कि.मी.505.540 (संगोंदहल्ली से केएनटी/एपी सीमा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: कोलर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मूलबगल					
गांव का नाम: ज.अग्रहारा					
1	93	निजी	ड्राय	1010 (वर्ग मीटर)	0.101
गांव का नाम: मंपूरा हल्ली					
2	103	निजी	ड्राय	2505 (वर्ग मीटर)	0.2505
गांव का नाम: थिम्मा रवथना हल्ली					
3	35/3	निजी	वेट	1010 (वर्ग मीटर)	0.101
4	Gramatana	सामान्य	खराब	350 (वर्ग मीटर)	0.035
गांव का नाम: च्याराकुरा हल्ली					
5	50	निजी	ड्राय	606 (वर्ग मीटर)	0.0606
6	Gramatana	सामान्य	खराब	1125 (वर्ग मीटर)	0.1125
गांव का नाम: करवीरेड्डी हल्ली					
7	80	सामान्य	ड्राय	850 (वर्ग मीटर)	0.085
Total					0.7456

[फा. सं. 12037/48/2016-KNT(P-6)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2026

S.O. 1134(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway 234 in the stretch of land from Km 494.450 to Km505.540 (Sangondahalli to KNT/AP Border section) in the district of KOLAR in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition officer National Highways Bangalore 560001 in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 494.450 to Km 505.540 (Sangondahalli to KNT/AP Border section section) of the National Highway 234 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: KOLAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mulbagal					
Village: J.Agrahara					
1	93	Private	Dry	1010 (Square Meter)	0.101
Village: Mampoora Halli					
2	103	Private	Dry	2505 (Square Meter)	0.2505
Village: Thimma Ravuthana Halli					
3	35/3	Private	Wet	1010 (Square Meter)	0.101
4	Gramatana	Common	Kharab	350 (Square Meter)	0.035
Village: Chyarakura Halli					
5	50	Private	Dry	606 (Square Meter)	0.0606
6	Gramatana	Common	Kharab	1125 (Square Meter)	0.1125
Village: Karavireddy Halli					
7	80	Common	Dry	850 (Square Meter)	0.085
Total					0.7456

[F. No. 12037/48/2016-KNT(P-6)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director